परिचालन संरक्षा चेतावनी संख्या 02/2022
OPERATING SAFETY ALERT No.02/2022

विषय : पावर ब्लॉक (Power Block) एवं ट्रैफिक ब्लॉक (Traffic Block) निरस्त किए बिना गाड़ी परिचालन की घटना ।

दिनांक 14.02.22 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के जपला स्टेशन पर पावर ब्लॉक एवं ट्रैफिक ब्लॉक डाउन गुड्स साइडिंग लाइन एवं डाउन लूप लाइन नंबर 01 पर 14:30 से 16:30 बजे तक का दिया गया था।

कार्यरत स्टेशन मास्टर /जपला ने ब्लॉक कैंसिल किए बिना ही गाड़ी संख्या 03342 (डेहरी आन सोन - बरकाकाना पैसेंजर) को डाउन लूप लाइन मे 16.13 बजे रिसीव कर लिया जबकि वास्तविक तौर पर ट्रैफिक ब्लॉक 16.36 बजे कैंसिल किया गया। TRD कर्मचारी द्वारा स्टेशन मास्टर से चाबी लेकर 16.48 बजे पावर चालू किया गया। घटना के फलस्वरूप गाड़ी संख्या 03342 लूप लाइन मे 16.13 बजे से 16.52 बजे तक विलंबित रही। घटना से स्पष्ट है कि स्टेशन मास्टर / जपला ने पावर ब्लॉक और ट्रैफिक ब्लॉक दिए गए लाइन पर गाड़ी लेने की बड़ी भूल की तथा GR&SR 17.04 (11) का उलंघन किया गया ।

घटनोपरांत मण्डल द्वारा त्वरित कारवाही करते हुए स्टेशन मास्टर एवं खंड के यातायात निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विदित हो कि मुख्यालय एवं मंडल स्तर से निरंतर किए जा रहे निरीक्षण (inspection) एवं चलाए जा रहे संरक्षा अभियान (safety drive) के बावजूद भी उपरोक्त घटना घटित होना एक चिंता का विषय है।

अतः सभी मंडलों को निम्नलिखित के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया जाता है :-

1 सुनिश्चित करें कि सभी स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में स्टॉप प्लग, सेफ्टी कॉलर, स्लाईड/लीवर् कॉलर इत्यादि उपलब्ध है।

2. सुनिश्चित करें कि स्टेशनों पर पावर ब्लॉक एवं ट्रैफिक ब्लॉक दिए जाने पर संबंधित ब्लॉक यंत्र पर पावर ब्लॉक एवं लाइन बाधित बोर्ड का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी उपलब्धता है।

3. ब्लॉक दिए जाने एवं कैंसिल किए जाने को अभिलिखित करने के लिए ब्यवस्था है।

4. ब्लॉक देने एवं कैंसिल करने के लिए सेक्शन कंट्रोलर से आदान प्रदान किए गए प्राइवेट नंबर को समुचित रूप से अभिलिखित किया जा रहा है ।

5. ब्लॉक के संबंध में स्टेशन डायरी एवं टीएसआर में विनिर्दिष्ट स्थान पर लाल स्याही से इंदराज किया जा रहा है।

6. स्टेशन मास्टर GR&SR के अध्याय 17 में पावर ब्लॉक के संबंध में वर्णित नियमों से पूर्णतः अवगत है ।

7. स्टेशन मास्टर कार्यालय में ट्रैक्शन यार्ड डायग्राम में दर्शाए गए एलिमेंट्री सेक्शन से अवगत हैं एवं आइसोलेटींग स्विच ऑपरेशन की जानकारी है।

समस्त मंडलों को निर्देशित किया जाता है की उपरोक्त लापरवाही की पुनरावृति को रोकने के लिए परिचालन संरक्षा से संबंधित समस्त कर्मचारियों द्वारा नियमों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करे ।

14.03.22

(बी के दास)
मुख्य परिचालन प्रबंधक /सा
पूर्व मध्य रेल

सं0.ई सी आर /परि. संरक्षा /चेतावनी /73 /505,

दिनांक 14 ,03.22